### महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर संधारित किए जाने वाले 7 रजिस्टरें

(सुशाशन अंतर्गत एक पहल)

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार

### रजिस्टर –।

- जाब कार्ड आवेदन
- जाब कार्ड पंजीकरण
- जाब कार्ड निर्गत
- परिवार को उपलब्ध कराये गए रोजगार संबंधी रिपोर्ट

रजिस्टर स॰-। भाग क जॉब कार्ड (आवेदन पंजीकरण एवं निर्गत) और परिवार रोजगार रिपोर्ट रजिस्टर।

पेज संख्या       बैंक     सृजित       म्डा     वैयक्ति       क्ष्य     क       नाम     यदि       कोई है	12				
बैंक बैंक किंच नाम नाम	11				
जॉब कार्ड केंक/डा कघर खाता	10				
पैरा भ मामले भू- जोत	6				
क्या एएवाई /तदर्थ/एपीएल /बीपीएल/महि ला प्रमुख एचएच/एफआ एप्सईसीसी स्ए स्वतः शामिल हैं?	8				
अ.जा./ अ.ज. जा. /अन्य	7				
परिवार के मुखिया से संबंध	9				
उस /	2				
परिवा र का या/ अन्य सदस्य	4				
आं भ भी भी हें स्वारी	3				
प्राम पंचाय त द्वारा जारी मिर् जॉब काडों का	2				
• सः अ	1				

रजिस्टर सं. । भाग-ख-जॉब कार्ड (आवेदन, पंजीकरण एवं इश्यू) और परिवार रोजगार रजिस्टर।

पेज स0

	टिप्पणी के साथ हस्ताक्षर	13					
	जारी की गई जॉब कार्ड संख्या	12					
	निर्ण स व व व	11					
	स्वीकृत/ अस्वीकृत	10					
	पैरा 5 के मामले में भू- जोत	6					
	क्या एएवाई /तदर्थ/एपीएल/ बीपीएल/महिला प्रमुख एचएच/एफआर ए /एसईसीसी स्वतः शामिल	8					
	अ.जा./ अ.ज.जा . /अन्य	7					
	संबंध	9					
	उम्र/ लिंग	2					
	परिवार उम्र/ का मुखिया	4					
ŀ	आवेद क का नाम और अन्य परिवा र के	3					
का नाम का नाम नीमी का न	क.     जेसी     के     आवेद     ग       सं.     िलए     क     क     क       आवेदन     नाम     ग       की     और       तारीख     अन्य       परिवा       र     क       सदस्य	2					
जिले ब्लॉक नि	प्रं भ	1					

रजिस्टर सं.। भाग-ग-जॉब कार्ड (आवेदन, पंजीकरण एवं इश्यू) औरपरिवार रोजगार रजिस्टर। पेज संख्या

बनाई गई वैयक्तिक परिसंप यदि कोई	12					
बैंक/ बाक घर का नाम	11					
जेसी से जुढ़ा घर खाता	10					
पैरा के मामले जोत भू-	6					
क्या एएवाई /तदर्थ/एपीएल/ बीपीएल/महिला प्रमुख एचएच/एफआर ए एसईसीसी ए /एसईसीसी स्वतः शामिल	8					
अ.जा./ अ.ज.जा . /अन्य	7					
परिवार के मुखिया से संबंध	9					
उम् <i>/</i> लिंग	2					
परिवार का मुखिया /अन्य सदस्य	4					
आँ कारी कामेर ब	3					
जीपी ब्रारा जाँब जाँब काडों संख्या	2					
प्रं अ	1					

रजिस्टर सं. । भाग-ग-जॉब कार्ड (आवेदन, पंजीकरण एवं इश्यू) और परिवार रोजगार रजिस्टर।

पेज संख्या

/ बनाई गई	वैयक्तिक	परिसंप ೧	तियाँ, यदि	कोई		12						
ब्र <del>ी</del> ह	घर	क	ਜੂ ਜ			11						
जेसी से जहा						10						
पैरा के						6						
क्या एएवाई /तदर्थ/एपीएल/	बीपीएल/महिला बीपीएल/महिला	प्रमुख	एचएच/एफआर ए /एसईसीसी	स्वतः शामिल	ር. ∦ኬ⁄	<b>&amp;</b>						
	. /अन्य					7						
परिवार के	मुखिया	से संबंध				9						
उम्,						2						
परिवार का	मुखिया	/अन्य	सदस्य			4						
आँ कार्क	जारी	किए ,	म भी	तारी	অ	m						
जीपी दारा	बारी	किए	मार ऑब	काडौँ	की मंख्या	2						
म. म∙ <del>ओ</del>	;					1						

#### रजिस्टर – । जॉब कार्ड आवेदन, पंजीकरण, निर्गत एवं परिवार रोजगार रिपोर्ट संबंधी रजिस्टर।

**औचित्य:** इस रजिस्टर में परिवार के दृष्टिकोण से संधारित 3/4 रजिस्टरों को मिलाकर एक कर दिया गया है। जॉब कार्ड (आवेदन, पंजीकरण एवं निर्गत) और प्रत्येक पंजीकृत परिवार को उपलब्ध कराये गए रोजगार से संबन्धित राजिस्टरें राज्यों द्वारा संधारित किए जा रहे हैं। उनके आलोक में तथा वर्तमान में जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप इस रजिस्टर में कितपय ब्योरे शामिल किए गए हैं।

#### अनुदेश:

- 1. नरेगासाफ्ट पर इस रजिस्टर का प्रपत्र <a href="http://nrega.nic.in/Netnrega/stHOME.aspx">http://nrega.nic.in/Netnrega/stHOME.aspx</a> लिंक से state/district/block/GP का चयन कर ग्राम पंचायत के पेज पर पहुँच कर रजिस्टर लेबल के अंतर्गत पहले रजिस्टर के तौर पर उपलब्ध है।
- 2. इस रजिस्टर के 4 भाग हैं ( भाग– क, भाग- ख, भाग- ग, भाग- घ) जिनका संधारण तिमाही आधार पर किया जाना है। रजिस्टर संख्या 1- भाग क का प्रारूप इस प्रकार है:-

#### रजिस्टर स॰-। भाग क जॉब कार्ड (आवेदन पंजीकरण एवं निर्गत) और परिवार रोजगार रिपोर्ट रजिस्टर।

पेज संख्या

क्र. सं.	ग्राम पंचाय त द्वारा जारी किए गए जॉब कार्डों का क्रमांक	ज़ॉब कार्ड जारी किए जाने की तारी ख	परिवा र का मुखि या/ अन्य सद स्य	उम / लिं ग	परिवार के मुखिया से संबंध	अ.जा./ अ.ज.जा . /अन्य	क्या एएवाई /तदर्थ/एपीएल /बीपीएल/महि ला प्रमुख एचएच/एफआ रए /एसईसीसी स्वतः शामिल हैं?	पैरा 5 के मामले में भू- जोत	जॉब कार्ड से जुड़ा बैंक/डा कघर खाता	बैंक /डा कघ र का ना म	सृजित वैयक्ति क परिसंप तियां, यदि कोई है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

- 1. रजिस्टर के इस भाग में 12 कॉलम हैं।
- 2. सभी कॉलम पहले से भरे हुए होते हैं और सिस्टम से सीधे मुद्रित किए जाने हैं तथा वास्तविक रजिस्टर में पेस्ट किए जाने हैं।
- 3. कॉलम-1 में क्रम संख्या लिखी होती है।
- 4. कॉलम-2 में ग्राम पंचायत द्वारा अब तक जारी किए गए जॉब कार्डों की संख्या लिखी होती है।
- 5. कॉलम-3 में जॉब कार्ड जारी किए जाने की तारीख लिखी होती है।
- 6. कॉलम-4 में परिवार के मुखिया का नाम उसके बाद जॉब कार्ड में दर्ज वयस्क सदस्यों का नाम लिखा होता है।
- 7. कॉलम-5 में परिवार के मुखिया और अन्य सदस्यों की आयु और लिंग लिखे होते हैं।
- 8. कॉलम-6 में परिवार के मुखिया के साथ आवेदक का संबंध लिखा होता है।

- 9. कॉलम-7 में जेसी की जाति की श्रेणी लिखी होती है।
- 10. कॉलम-8 में परिवार की महिला प्रमुख, एफआरए लाभार्थी, एपीएल, बीपीएल आदि से संबंधित ब्यौरों के साथ जेसी में दर्ज की गई सूचना प्रदर्शित होती है।
- 11. कॉलम-9 में भू-जोत हेक्टेयर्स में लिखी होती है। यह कॉलम पहले से मुद्रित होता है जिससे जेसी में दर्ज जानकारी प्रदर्शित होती है।
- 12. कॉलम-10 में जॉब कार्ड से जुड़े बैंक अथवा डाकघर खाता प्रदर्शित होता है।
- 13. कॉलम-11 में बैंक अथवा डाकघर का नाम प्रदर्शित होता है।
- 14. कॉलम-12 में यह प्रदर्शित होता है कि क्या जेसी से जुड़े किसी श्रेणी ख/वैयक्तिक परिसंपत्तियों का निर्माण किया गया है।
- 15. जीआरएस/प्राधिकृत व्यक्ति वित्त वर्ष के पहले सप्ताह में इस भाग-क को प्रिंट करेगा। यह प्रिंट की जाने वाली आवर्ती सूची होगी जिसे लैंड स्केप मोड में पेस्ट करना होगा।

#### भाग-ख

जैसे ही भाग क को प्रिन्ट करके पेस्ट कर दिया जाएगा, भाग ख (फार्मेट नीचे दिया गया है) जोिक रिक्त फार्मेट होता है, इसे अगले पेज से प्रिन्ट करके वास्तविक रजिस्टर में वहां पेस्ट किया जाएगा जहां भाग क खत्म हो जाता है। इस भाग को जीआरएस/प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त जेसी आवेदनों और लिए गए निर्णयों के आधार पर हाथ से भरा जाएगा यह फोर्मेट/रिपोर्ट जो कि पूरी तरह से हाथ से भरी जाती है अतः एमआईएस पर उपलब्ध नहीं होती है। फार्मेट इस प्रकार है।

रजिस्टर सं.। भाग-ख-जॉब कार्ड (आवेदन, पंजीकरण एवं इश्यू) और परिवार रोजगार रजिस्टर।

पेज स0

ब्लॉक	का नाम का नाम वीसी का न	<b>ाम</b>										
क्र. सं.	जेसी के लिए आवेदन की तारीख	आवेद क का नाम और अन्य परिवा र के सद	परिवार का मुखि या	उम/ लिंग	संबंध	अ.जा./अ .ज.जा. /अन्य	क्या एएवाई /तदर्थ/एपीएल/ बीपीएल/महिला प्रमुख एचएच/एफआर ए /एसईसीसी स्वतः शामिल हैं?	पैरा 5 के मामले में भू- जोत	स्वीकृत /अस्वी कृत	निर्ण य की तारी ख	जारी की गई जॉब कार्ड संख्या	टिप्पणी के साथ हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- 1. कॉलम-1 में क्रम संख्या लिखी जाती है।
- कॉलम-2 में ज़ॉब कार्ड के लिए आवेदन करने वाले आवेदक का नाम लिखा जाता है।
   आवेदक द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर जीआरएस/प्राधिकृत व्यक्ति उसका और अन्य व्यस्क सदस्यों के नाम लिखेगा।
- कॉलम-3 में परिवार के मुखिया का नाम लिखा जाता है जैसा कि आवेदन में लिखा जाता है।
- कॉलम-4 में पिरवार के मुखिया और अन्य सदस्यों की आयु और लिंग आवेदन में लिखे अनुसार, लिखे जाते हैं।
- 5. कॉलम-5 में परिवार के मुखिया के साथ आवेदक और अन्य सदस्यों का संबंध लिखा जाता है यदि आवेदक ही परिवार का मुखिया हो तो 'स्वयं' लिखा जाएगा।
- 6. कॉलम-6 में परिवार की जॉब कार्ड संख्या लिखी जाती है।
- 7. कॉलम-7 में आवेदन के अनुसार श्रेणी (अ.जा./अ.ज.जा/अन्य) लिखी जाती है।
- कॉलम-8 में परिवार की महिला प्रमुख, एफआरए लाभार्थी, बीपीएल आदि से संबंधित
   स्थिति के बारे में लिखा जाता है।
- कॉलम-9 में यदि आवेदक अधिनियम की अनुसूची-। के पैरा 5 के अधीन कवर नहीं होने के मामले में भू-जोत संबंधी ब्यौरा दर्ज किया जाता है।
- 10. कॉलम-10 में आवेदक की स्थिति अर्थात् स्वीकृत/अस्वीकृत लिखा जाता है।
- 11. कॉलम-11 में लिए गए निर्णय की तारीख लिखी जाती है।
- 12. कॉलम-12 में आवेदन स्वीकृत होने के मामले में जॉब कार्ड संख्या लिखी जाती है।
- 13. कॉलम-13 में जीआरएस/प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर के लिए स्थान होता है।
- 14. भाग-ख का तिमाही रख-रखाव हस्तिलिखित रूप से किया जाता है। जीआरएस/प्राधिकृत व्यक्ति को यह सुनिश्चित करने की जरूरत होती है कि इसके

साथ-साथ ही उस तिमाही में जारी किए गए सभी नए जॉब कार्डों से संबंधित एमआईएस में अद्यतन होता रहे।

#### भाग-ग

तिमाही के अंत में जीआरएस रेडियो 'अपडेट इनफोर्मेंशन' चयन करेंगे। रिपोर्ट का भाग-ग डिस्पले हो जाएगा जिसमें वही जानकारी होगी जो परिवारों के लिए भाग-क में होती है कि उस तिमाही में जॉब कार्ड, यदि कोई, जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद वह इस अद्यतन भाग को प्रिंट करके भाग-ख के साथ रजिस्टर में पेस्ट करेगा। यदि ये अपडेट्स शून्य हों तो कुछ भी प्रिन्ट करके पेस्ट नहीं किया जाएगा।

रजिस्टर सं.। भाग-ग-जॉब कार्ड (आवेदन, पंजीकरण एवं इश्यू) और परिवार रोजगार रजिस्टर।
पेज संख्या

क्र.	जीपी	ज़ॉब	परिवार	उम/	परिवार	अ.जा./अ	क्या एएवाई	पैरा 5	जेसी से	बैंक	बनाई
सं.	द्वारा	कार्ड	का	लिंग	के	.ज.जा.	/तदर्थ/एपीएल/	के	जुढ़ा	/डा	गई
	जारी	जारी	मुखि		मुखिया	/अन्य	बीपीएल/महिला	मामले	बैंक/डा	कघ	वैयक्ति
	किए	किए	या/अ		से संबंध		प्रमुख	में भू-	कघर	₹	क
	गए	जाने	न्य				एचएच/एफआर	जोत	खाता	का	परिसंप
	जॉब	की	सदस्य				ए /एसईसीसी			नाम	त्तियां,
	कार्डी	तारी					स्वतः शामिल				यदि
	की	ख					हैं?				कोई
	संख्या										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

#### भाग-घ

भाग-ग को पेस्ट करने के बाद जीआरएस/प्राधिकृत व्यक्ति 'एम्पलॉएमेंट प्रोवाइडेड' रेडियो बटन का चयन करेगा। यह उस जॉब कार्ड को फिल्टर करेगा जिसके तहत कामगार ने वित्तीय वर्ष की उस तिमाही अथवा पिछली तिमाही/तिमाहियों में रोजगार पाया है और परिवारों के लिए संचयी श्रमदिवसों की संख्या के आधार पर उपर से नीचे के क्रम में उनकी जॉब कार्ड संख्या प्रिन्ट करेगा।

वह फोर्मेट जिसमें जानकारी प्रदर्शित होगी, वह इस प्रकार होगा:-

रजिस्टर सं.। भाग-घ-जॉब कार्ड (आवेदन, पंजीकरण एवं इश्यू) और परिवार रोजगार रजिस्टर। पेज संख्या

क्र. सं.	जॉब कार्ड संख्या	इस वितीय वर्ष में काम करने वाले परिवार के मुखिया और अन्य सदस्यों के नाम		मांगे गए कार्य दिवसों की संख्या	किए गए कार्यदिवसों की संख्या	कार्य कोड/कार्य का नाम	एमएसआर संख्या	किया गया मजद्री भुगतान	देय मजद् री
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ļ								

- 1. जैसाकि स्पष्ट है, इस भाग में 10 कॉलम होते हैं। सभी कॉलम पहले से भरे होते हैं।
- 2. कॉलम-1 में क्रम संख्या लिखी होती है।
- 3. कॉलम-2 में परिवार के सभी सदस्यों द्वारा किए गए श्रम दिवसों की संचयी संख्या के आधार पर ऊपर से नीचे के क्रम में एक दिन भी कार्य करने वाले कामगार के जॉब कार्ड की संख्या लिखी होती है।
- 4. कॉलम-3, कॉलम-2 में दी गई जॉब कार्ड संख्या से संबंधित परिवार के सदस्यों के नाम लिखे होते हैं और सभी बाद के कॉलमों के लिए प्रत्येक सदस्य के लिए एक पंक्ति होती है।
- 5. कॉलम-4 में सदस्यों की आयु और लिंग से संबंधित जानकारी होती है।
- 6. कॉलम-5 में सदस्यों/परिवार द्वारा कार्य दिवसों की मांग की संख्या से संबंधित जानकारी होती है।
- 7. कॉलम-6 में प्रत्येक सदस्य को उपलब्ध कराए गए रोजगार के दिवसों की संख्या से संबंधित जानकारी उपलब्ध होती है।
- 8. कॉलम-7 में वह एमएसआर संख्या होती है जिसके तहत रोजगार उपलब्ध कराया गया था।
- 9. कॉलम-8 में उस कार्य का नाम होता है जिसके लिए रोजगार उपलब्ध कराया गया था।
- 10. कॉलम-9 में प्रति एमएसआर/कार्य की मजदूरी के लिए किए गए भुगतान से संबंधित जानकारी होती है और कॉलम-10 में देय मजदूरी, यदि एमएसआर संख्या के तहत उस तिमाही के अंत में कोई हो, से संबंधित जानकारी होती है।
- 11. जैसे ही यह जानकारी क्रमवार पेस्ट कर दी जाती है हम अगली तिमाही में एंटर करेंगे तो अगली तिमाही की शुरूआत में भाग-ख की प्रिन्टिंग और पेस्टिंग शुरू हो जाएगी और इसके बाद उस तिमाही के अंत में और इसी तरह आगे भी भाग-ग एवं भाग-घ की प्रिन्टिंग और पेस्टिंग भी हो जाएगी।

#### रजिस्टर – ॥

- ग्राम सभा की बैठक
- कार्यवृत
- कार्यों की प्राथमिकता सूची
- विशेष सामाजिक अंकेक्षण सभा की कार्यावाही

रजिस्टर सं. ॥- ग्राम सभा की बैठक, कार्यवृत, संकल्प, कार्यों की प्राथमिकता प्राप्त सूची और विशेष सामाजिक लेखा-परीक्षा ग्राम सभा की बैठक एवं कार्यवृत, की गई कार्यावाही।

#### औचित्यः

- तीन रजिस्टरों को इस रजिस्टर-॥ में मिला दिया गया है। मौजूदा ग्राम सभा की बैठकों और कार्यवृतों वाला रजिस्टर पंचायती राज मंत्रालय का रजिस्टर है।
- कुछ राज्यों में, ऐसा पाया गया कि ग्राम सभा द्वारा विधिवत रूप से स्वीकृत महातमा गांधी नरेगा के तहत कार्यों की प्राथमिकता प्राप्त सूची के लिए रख-रखाव संबंधी कोई रजिस्टर नहीं है। कुछ राज्यों में, ऐसा पाया गया है कि कार्यों की प्राथमिकता प्राप्त सूची का रख-रखाव अलग रजिस्टर में किया जाता है। चूंकि आयोजना प्रक्रिया और कार्यों की प्राथमिकता प्राप्त सूची का ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन अनिवार्य है। अतः अब ग्राम सभा की बैठकों और कार्यवृत को रजिस्टर में रिकोर्ड किया जाना अनिवार्य होगा।
- कुछ राज्यों में, सामाजिक लेखा परीक्षा रजिस्टर नहीं बनाया गया है। कुछ राज्यों में,
   इसे अलग से बनाया गया है। अब विशेष सामाजिक लेखा परीक्षा ग्राम सभा की बैठकों का कार्यवृत पैरा-दर-पैरा और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (एटीआर) पैरा-दर-पैरा उसी ग्राम सभा की बैठकों और कार्यवृत वाले रजिस्टर में रिकोर्ड की जाएगी।
- ग्राम सभा की बैठकों और कार्यवृत वाले रिजस्टर के मौजूदा प्रारूप को जैसा है वैसा ही रखा जाएगा। यह रिजस्टर हमेशा बना रहेगा।

### रजिस्टर – ॥।

- काम की मांग
- कार्यों का आवंटन
- मजदूरी का भुगतान

# रजिस्टर III का प्रारूप

# पेज संख्या

विलंब के लिए किया गया प्रतिपूर्ति भुगतान, यदि	15					
भुगतान किया गया बेरोजगारी भता, यदि कोई हो	14					
िक्रप् गए भुगतान की राशि	13					
मजदू भुगता न की तारी ख	12					
प्रित परिवार किए गए कार्य दिवसों की कुल संख्या	11					
कब तक कार्य किया	10					
कब से कार्य किया	6					
आवंटित कार्य के लिए मस्टर <b>रॉल</b> संख्याएं	8					
आवंटित कार्य का कोड	7					
की गई मांग वाले कार्य दिवसों की संख्या	6					
कार्य की मांग वाली तारीख	2					
मांग के आवेदन की तारीख	4					
काम का नाम	3					
जॉब कार्ड	2					
• मः अ	1					

#### रजिस्टर ॥।- काम की मांग, कार्यों का आवंटन तथा मजदूरी का भुगतान रजिस्टर

#### औचित्यः

- रजिस्टर III पूर्ण रूप से हस्तिलिखित कार्य वाला रजिस्टर है जिसमें ग्राम रोजगार सहायक (जीआरएस) प्रविष्टियां दर्ज करते हैं।
- पूर्ण रूप से हस्तिलिखित कार्य करने का औचित्य किसी समय नरेगा सॉफ्ट,
   एमआईएस का कार्य न करना हो सकता है। इस रिजस्टर में कामगारों से संबंधित
   अति महत्वपूर्ण जानकारी होती है और यह बैकअप के लिए जरूरी होती है।
- रजिस्टर ॥ कामगारों के दृष्टिकोणों से कोर एवं पूर्ण रूप से पारदर्शी रजिस्टर होता
  है।
- इस रजिस्टर का रख-रखाव प्रति वित्तीय वर्ष माह- वार किया जाएगा।

#### रजिस्टर ॥। का प्रारूप

#### पेज संख्या

क्र. सं.	जॉब कार्ड	काम गार का नाम	मांग के आवेदन की तारीख	कार्य की मांग वाली तारीख	की गई मांग वाले कार्य दिवसों की संख्या	आवंटित कार्य का कार्य कोड	आवंटित कार्य के लिए मस्टर रॉल संख्याएं	कब से कार्य किया	कब तक कार्य किया	प्रति परिवार किए गए कार्य दिवसों की कुल संख्या	मजदू री भुग तान की तारी ख	किए गए भुगता न की राशि	भुगतान किया गया बेरोजगारी भत्ता, यदि कोई हो	विलंब के लिए किया गया प्रतिपूर्ति भुगतान, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

- 1. कॉलम-1 में क्रम संख्या लिखी जाती है।
- 2. कॉलम-2 में कामगार के जॉब कार्ड का नाम लिखा जाता है।
- 3. कॉलम-3 में कामगार का नाम लिखा जाता है।
- 4. कॉलम-4 में मांग के आवेदन की तारीख लिखी जाती है।
- 5. कॉलम-5 में वह तारीख लिखी जाती है जिससे कार्य की मांग की गई है/थी।
- कॉलम-6 में दिवसों की वह संख्या लिखी जाती है जिनके लिए कार्य की मांग की गई है/थी।
- 7. कॉलम-7 में आवंटित किए गए कार्य का कार्य कोड लिखा जाता है।
- 8. कॉलम-8 में आवंटित कार्य के लिए मस्टर संख्या लिखी जाती है।
- 9. कॉलम-9 और 10 में कार्य शुरू होने और कार्य खत्म होने की तारीखें रिकार्ड की जाती है।
- 10. कॉलम-11 में प्रति जॉब कार्ड किए गए कार्य दिवसों की कुल संख्या लिखी जाती है।
- 11. कॉलम-12 में कार्य के लिए कामगार को किए गए भुगतान की तारीख लिखी जाती है।
- 12. कॉलम-13 में किए गए भुगतान की राशि रिकोर्ड की जाती है।
- 13. कॉलम-14 में बेरोजगारी भत्ते के भुगतान, यदि कोई हो, दर्ज किया जाता है।
- 14. कॉलम-15 में विलंब के लिए प्रतिपूर्ति भुगतान, यदि कोई हो, दर्ज किया जाता है।

### रजिस्टर ।٧

• कार्य रजिस्टर

# रजिस्टर- १४ कार्य रजिस्टर भाग क

			1	1					
संख्या	स्वीकृ पृष्ठ संख्या त साम ग्री	12							
पेव	स्वीकृ त साम ग्री	11							
	स्वीकृ त अकुश ल मजदू री	10							
	कार्य समापन की वास्तविक तारीख	9							
- - -	कार्य समापन अनुमानित तारीख								
-	अनुमा	8							
	कार्य. शुरू करने की तारीख	7							
	कार्यान्वय न कारी एजेंसी जीपी/ला इन विभाग	9							
	एएस की तारी ख, एएस संलग्न	2							
	टीएस की तारीख , टीएस संलग्न	4							
	कार्यों की	3							
	कार्य कोड/कार्य का नाम	2							
	मः	1							

# रजिस्टर IV भाग -ख कार्यवार कार्यों का विस्तृत ब्योरा कार्य कोड / कारी का नाम ........ पेज संख्या......

# मजदूरी भुगतान ब्यौरा

क.सं.	एमएसआर सं.	मजदूरी सूची सं.	श्रम दिवस	भुगतान की गई राशि	देय भुगतान
		केल			

# सामग्री भुगतान ब्यौरा

क.सं.	ब ब	मः	वाउचर सं.	बिल की तारीख	भुगतान की गई राशि	देय भुगतान
			<u>केल</u>			

# कुशल एवं अकुशल भुगतान ब्यौरा

भुगतान	
देय	
भुगतान की गई राशि	
श्रम दिवस	
मजदूरी सूची सं.	
म सं.	केल
एमएसआर सं.	
क.स.	

	देय भुगतान
कुल	भुगतान की गई राशि
अकुशल	देय भुगतान
एबं.	
कुशल	भुगतान की गई राशि
	देय भुगतान
सामग्री	भुगतान की गई राशि
	देय भुगतान
मजदूरी	भुगतान की गई राशि

#### रजिस्टर । ४ कार्य रजिस्टर

#### औचित्यः

- अधिकांश राज्यों में कार्य रिजस्टर हैं और बहुत से राज्यों में कार्य एवं पिरसंपित रिजस्टर एक ही है। ऐसा महसूस किया गया था कि 'पूरे हो चुके कार्यों' के साथ 'चल रहे कार्यों' को अलग- अलग स्पष्ट रूप से किए जाने की जरूरत है।
- एक ही वितीय वर्ष में अथवा अलग-अलग वितीय वर्षों में पूरा हो चुका कार्य अथवा
  पूरे हो चुके कार्यों को एक संदर्भ एवं परिणाम तथा भौगोलिक स्थिति से एक
  'परिसंपति' के रूप में मैप किया गया है।
- रजिस्टर-IV एक वर्कफ्लो आधारित मैप रजिस्टर है, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है और उसका प्रिंट निकाला जा सकता है और जिसका रख-रखाव ग्राम सभा स्तर पर किया जाता है।

#### निर्देषः

#### 1. यह रजिस्टर नरेगासॉफ्ट में ऑनलाइन उपलब्ध है

- 1.1 जीपी पेज पर जाने के लिए लिंक <a href="http://nrega.nic.in/Netnrega/stHOME.aspx">http://nrega.nic.in/Netnrega/stHOME.aspx</a> से राज्य>जिला>ब्लॉक>जीपी के नाम का चयन करें। इस रजिस्टर से संबंधित जानकारी लेने के लिए रजिस्टर्स लेबल के अंतर्गत इस पेज में 'कार्य रजिस्टर' लिंक को क्लिक करें।
- 2. सलाह दी जाती है कि इस रजिस्टर को तिमाही आधार पर बनाया जाए।
- 3. इस रिपोर्ट के दो भाग हैं-
  - 3.1 भाग क वह रिपोर्ट है जो 'कार्य रजिस्टर' लिंक पर क्लिक करने से डिस्पले होती है स्वतः प्रदर्शित रिपोर्ट ग्राम पंचायत द्वारा किए जा रहे कार्यों से संबंधित होती है। कार्य का चयन करने के लिए अन्य लाभार्थियों को 'जीपी के अलावा' रेडियो बटन का चयन करने की आवश्यकता होती है। इस रिपोर्ट में 12 कॉलम हैं। इस रिपोर्ट का दूसरा कॉलम अर्थात् 'कार्यकोड /कार्य का नाम' क्लिक किया जा सकता है।
  - 3.2 भाग ख कॉलम-2 के किसी 'कार्यकोड /कार्य का नाम' पर क्लिक करने से दूसरी रिपोर्ट जिसमें कार्यवार ब्यौरे दिए गए होते हैं. डिस्पले हो जाते हैं जो कि समग्र रूप से सभी कार्यों को इस रजिस्टर के भाग-ख के रूप में दर्शाती है।
  - 3.3 दोनों भागों को वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के लिए बनाए गए रजिस्टरों में प्रिंट करके (लैंड स्केप मोड में) प्रिंट करके पेस्ट किया जाए।

- 4. रजिस्टर-IV में प्रविष्टियां दर्ज करने/इसके रख-रखाव के लिए प्रक्रिया हेतु पूर्व आयोजना तैयार करना।
  - 4.1 सही आकार के वास्तविक रजिस्टर का चयन करें।
  - 4.2 कृपया भाग-क में डिस्पले पूरे किए जा रहे और शुरू किए गए नए कार्यों की संख्या की जांच करें।
  - 4.3 रजिस्टर (बनाए गए) के पेपर के आकार के अनुसार यह जांच करें कि उस पर प्रिंट करने के लिए लैंड स्केप मोड में कितनी प्रविष्टियां हो जाएंगी। इसमें रजिस्टर के भाग-क में प्रति पृष्ठ प्रिंट किए जाने वाले पृष्ठों की संख्या का चयन करने की स्विधा है।
  - 4.4 कार्यों की संख्या और प्रति पृष्ठ प्रिंट की जा सकने वाली प्रविष्टियां की संख्या के आधार पर निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार पृष्ठों की संख्या का चयन करें:-

उदाहरणार्थः- यदि चल रहे और नए कार्यों की संख्या 100 है और प्रति पृष्ठ रिजस्टर IV के भाग क के 10 कार्य ब्यौरे प्रिंट किए जा सकते हैं तो भाग-क की सूचना की प्रिंटिंग और पेस्टिंग के लिए कम से कम 10 पृष्ठों की जरूरत होगी। प्रत्येक कार्य की एक विस्तृत रिपोर्ट होती है जो भाग-क के कॉलम 2 में कार्यकोड /कार्य का नाम' पर क्लिक करने से डिस्पले हो जाती है। प्रत्येक कार्य ब्यौरे के लिए प्रिंटिंग हेतु वास्तविक रिजस्टर के एक पृष्ठ की जरूरत होती है। अतः इन पृष्ठों के ब्यौरे पेस्ट करने के 100 पृष्ठों की जरूरत होगी। इस प्रकार कुल 110 पृष्ठ अर्थात् 10 (भाग-क के लिए) और 100 (भाग-ख के लिए) पृष्ठों की जरूरत होगी। यदि प्रिंटिंग दोनो तरफ की जाए तो कम से कम 57 पृष्टों की जरूरत होगी।

- 4.5 पेजिंगः सुनिश्चित करे कि वास्तिवक रजिस्टर में सभी पृष्ठों को क्रम-वार संख्यांकित किया गया है। पहले भाग-क (जो विषय सूची के अनुसार होगा) और फिर भाग-ख के कार्य के एक-एक सभी ब्यौरे होंगे।
- 5. रजिस्टर । V के भाग-क में प्रविष्ठियां दर्ज करने/इसके रख-रखाव की प्रक्रिया

#### रजिस्टर- । 🗸 कार्य रजिस्टर भाग क

#### पेज संख्या

क्र. सं.	कार्य कोड/का र्य का नाम	कार्यों की सूची से प्राथमिक ता संख्या	टीएस की तारीख, टीएस संलग्न	एएस की तारी ख, एएस संल ग्न	कार्यान्व यन कारी एजेंसी जीपी/ला इन विभाग	कार्य. शुरू करने की तारीख	कार्य समापन अनुमानित तारीख	कार्य समापन की वास्तविक तारीख	स्वीकृ त अकुश ल मजदू री	स्वी कृत साम ग्री	पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											·

- 5.1 कॉलम-1 से 11 पहले से प्रिंटिड होते हैं और कॉलम 12 रिक्त होता है।
- 5.2 रिपोर्ट को सीधे एमआईएस से प्रिंट किया जाए। सुनिश्चित करें कि उस ग्राम पंचायत में कार्यों से संबंधित जानकारी की प्रिंटिंग के लिए रेडियो बटन ऑन रहे।
- 5.3 रिपोर्ट की स्पष्ट अविध और प्रति पृष्ठ प्रिंट किए जाने वाली पंक्तियों की संख्या के लिए एक विकल्प होता है जिसे आवश्यकता और पेपर के आकार के अनुसार उपयोग में लाया जा सकता है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में सभी चल रहे कार्य और शुरू किए गए कार्य स्वतः डिस्पले होते हैं। जैसे ही इसे प्रिंट किया जाए इस रिपोर्ट को तिमाही के लिए क्रम-वार रजिस्टर IV में पेस्ट किया जाए।
- 5.4 कॉलम-1 में क्रम संख्या होती है।
- 5.5 कॉलम-2 में एमआईएस में की गई प्रविष्ठियों के अनुसार ग्राम पंचायत के चल रहे/नए कार्यों का कार्य कोर्ड और नाम होता है। (इसे एमआईएस पर क्लिक किया जा सकता है और कार्य-वार ब्यौरे दिखे जा सकते हैं)।
- 5.6 कॉलम-3 में कार्यों की सूची के अनुसार प्राथमिकता संख्या होती है।
- 5.7 कॉलम-4 में स्वीकृत किए गए कार्य की तकनीकी स्वीकृति की तारीख होती है जबकि कॉलम-5 में प्रशासनिक स्वीकृति की तारीख से संबंधित जानकारी होती है।
- 5.8 कॉलम-6 में कार्य शुरू होने की तारीख से संबंधित जानकारी होती है जबकि कॉलम-7 में कार्य के समापन की संभावित तारीख से संबंधित जानकारी होती है।
- 5.9 कॉलम-8 में कार्य के समापन की वास्तविक तारीख से संबधित जानकारी होती है। यदि कार्य संबंधित तिमाही से पहले पूरा हो गया है और इस वितीय वर्ष में एमआईएस में बंद कर दिया गया है तो इसमें एमआईएस के अन्सार समाप्ति की

तारीख से संबंधित जानकारी को दोबारा प्रिंट किया जाएगा अन्यथा यह कॉलम रिक्त रहेगा। यदि कार्य तिमाही के दौरान पूरा हुआ हो तो यह रिक्त रहेगा और एमआईएस की संबंधित प्रविष्टियों के साथ-साथ इसे हस्तिलिखित रूप से भरा जाएगा। अगली तिमाही में एमआईएस अद्यतन के अनुसार इसमें पहले से प्रिंट समापन की तारीख होगी।

- 5.10कॉलम-9 में स्वीकृत अकुशल मजदूरी से संबंधित जानकारी होगी।
- 5.11कॉलम-10 में स्वीकृत सामग्री घटक से संबंधित जानकारी होती है।
- 5.12कॉलम-11 रिक्त होता है। इसे भाग-क की पेस्टिंग और भाग-ख के क्रम-वार सभी कार्यों के कार्य ब्यौरों के बाद भरा जाएगा। जिस पृष्ठ पर कार्य कोड/कार्य के नाम से संबंधित ब्यौरा दिया गया है उस पृष्ठ की संख्या यहां हस्तलिखित रूप से दर्ज की जाएगी।
- 5.13 भाग-क को दिए गए पृष्ठ पर प्रिंट विकल्प से प्रिंट किया जाए।

#### 6. रजिस्टर IV भाग -ख को भरने की प्रक्रिया

रजिस्टर IV भाग-ख	
कार्यवार कार्यों का विस्तृत ब्योरा कार्य कोड / कारी का नाम	•••••
	पेज संख्या

#### मजदूरी भुगतान ब्यौरा

क्र.सं.	एमएसआर सं.	मजदूरी सूची सं.	श्रम दिवस	भुगतान की गई राशि	देय भुगतान
		कुल			

#### सामग्री भुगतान ब्यौरा

क्र.सं.	बिल सं.	वाउचर सं.	बिल की तारीख	भुगतान की गई राशि	देय भुगतान
		कुल			

#### कुशल एवं अकुशल भुगतान ब्यौरा

क्र.सं.	एमएसआर सं.	मजदूरी सूची सं.	श्रम दिवस	भुगतान की गई राशि	देय भुगतान
		कुल			

मजदूरी		सामग्री		कुशल एव	i अकुशल	कुल	
भुगतान की गई राशि	देय भुगतान						

6.1 भाग - क को प्रिंट करने के बाद कॉलम 2 में एक-एक करके क्रम में वर्क कोड/वर्क नेम पर क्लिक करना। सबसे पहले क्रम संख्या 1 में वर्क कोड/वर्क नेम पर क्लिक करें। तब उस वर्क कोड/वर्क नेम का ब्यौरा देने वाला एक पेज खुलेगा।

- 6.2 इस पेज में 4 रिपोर्टें अर्थात क. मजदूरी भुगतान ब्यौरा, ख. सामग्री भुगतान ब्यौरा, ग. कुशल/अकुशल भुगतान ब्यौरा और घ. इन तीन रिपोर्टों की सारणी का सारांश।
- 6.3 पहली रिपोर्ट सारणी में मजदूरी भुगतान की स्थिति की जानकारी देने वाले 6 कॉलम हैं अर्थात क. एमएसआर सं., ख. मजदूरी सूची सं., ग. श्रम दिवस घ. भुगतान की गई राशि ड. देय भ्गतान
- 6.4 दूसरी रिपोर्ट सारणी में सामग्री भुगतान की स्थिति की जानकारी देने वाले 6 कॉलम हैं अर्थात क. बिल सं., ख. वाउचर सं., ग. बिल की तारीख, घ. भुगतान की गई राशि, ड. देय राशि
- 6.5 इसी तरह, तीसरी रिपोर्ट सारणी में कुशल एवं अकुशल मजदूरी भुगतान की स्थिति की जानकारी देने वाले 6 कॉलम हैं अर्थात क. एमएसआर सं., ख. मजदूरी सूची सं., ग. श्रम दिवस घ. भुगतान की गई राशि ड. देय भुगतान
- 6.6 चौथी सारणी में इन तीनों जानकारी के साथ में कार्यों की मजदूरी, अकुशल/कुशल और सामग्री घटकों के तहत भुगतान की गई राशि और देय भुगतान का ब्यौरा दिया गया है।
- 6.7 यह पूर्व मुद्रित रिकार्ड है और प्रिंट की जानी है तथा भाग क रिकार्ड के बाद अगले पेज पर इन्हें पेस्ट किया जाएगा।
- 6.8 पंजी के जिस पृष्ट संख्या पर इस मुद्रित पेज को पेस्ट किया गया है को नोट कर रजिस्टर IV के भाग क के कॉलम 12 में अंकित किया जाएगा।
- 6.9 जब तक सभी कार्य का ब्यौरा पेस्ट नहीं किया जाता तब तक अगले कार्य का कोड/कार्य का नाम के लिए सारी प्रक्रिया दोहराई जाएगी
- 7. वित्तीय वर्ष की अगली तिमाही में एक नए रजिस्टर का उसी तरह से रख-रखाव किया जाएगा। इस प्रकार वर्ष के अंत तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए चार रजिस्टर होंगे, जिसके साथ उस ग्राम पंचायत में कार्य की स्थिति की अद्यतन जानकारी देने वाला अंतिम रजिस्टर होगा।
- 8. अदर दैन ग्राम पंचायत रेडियो बटन चुनकर अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए एक कार्य रजिस्टर का भी रख-रखाव किया जा सकता है।

#### रजिस्टर - ٧- परिसंपत्ति रजिस्टर

परिसंपत्ति रजिस्टर के रख-रखाव से संबंधित प्रक्रिया पहले से ही 9 मई, 2016 के पत्र के माध्यम से परिचालित कर दी गई है। यहां इसे फिर से बनाया गया है।

## रजिस्टर V

• कार्य रजिस्टर

#### स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर मानरेगा कारी (कवर पेज)

ग्राम पंचायत का नाम	
ब्लाक का नाम	
जिला का नाम	
राज्य का नाम	

पहले	बाद
का	का
संदर्भ	संदर्भ

	•	
$\mathbf{m}$	ग्राह्म	
45	तखा	•••••

#### रजिस्टर V भाग - क परिसम्पत्ति का ब्यौरा

•			
गाव	का	नाम	٠.

पता:

1. परिसम्पत्ति	(नरेगा सॉफ्ट से परिसम्पत्ति	न की प्राप्त की गई यूनीक
आईडी	आईडी दर्ज करना)	
2 परिसम्पत्ति		
का नाम		
3. परिसम्पत्ति		
का वर्ग		
4. परिसम्पत्ति		
का विवरण		
5. प्राथमिक	(तारीख)	(समापन का वर्ष)
परिसम्पत्ति पूरी		
करने की तारीख		
6. वैयक्तिक	नाम :	जे सी संख्या :
लाभार्थी (यदि		
लागू हो)		
7. तालमेल के	यदि केंद्रीय/राज्य योजनाएं,	संबंधित विभागों, 14वां
तहत उपयोग की	वित्त आयोग आदि के साथ	तालमेल करके शुरू की गई
गई योजनाओं	हों।	
का नाम		

(	हर	-਼ਰ	क्षि	₹)

नाम और तारीख -----

#### भाग - खः परिसम्पत्ति के कार्य का ब्यौरा

क्र.सं	कार्य	कार्य	कार्य का	श्रम		नाम		
	आईडी	के	नाम	दिव	अकुश	अकुश	अन्य	और
		समाप		स	ल	ल	निधि	हस्ताक्ष
		न की			श्रमिक	श्रमिक		₹
		तारीख				सहित		
						साम		
						ग्री		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	(प्राथमिक		(प्राथमि				(तालमे	
	कार्य की		क कार्य				ਕ	
	कार्य		का नाम)				निधि)	
	आईडी)							
2.	(बाद के		(बाद के				(तालमे	
	कार्यों की		कार्यों का				ਕ	
	कार्य		नाम)				निधि)	
	आईडी)							
3.	(बाद के		(बाद के				(तालमे	
	कार्यों की		कार्यों का				ਕ	
	कार्य		नाम)				निधि)	
	आईडी)							
4.								

- 1. परिसम्पत्ति रजिस्टर के दो भाग हैं
  - 1. भाग क परिसम्पत्ति का ब्यौरा : जिसमें परिसम्पत्ति से संबंधित ब्यौरा हो।
  - 2. भाग ख परिसम्पत्ति के कार्य का ब्यौरा : जिसमें इस परिसम्पत्ति के तहत सभी लक्षित कार्यों के नाम और लागत का ब्यौरा हो।
- 2. मनरेगा के तहत पूरे किए गए कार्यों और सृजित की जा रही परिसम्पित्तयों के बीच अंतर है। सभी कार्य पूरा करने से नई परिसम्पित्तयों का सृजन नहीं होगा। जहां ऐसे मामले हों, वहां महात्मा गांधी नरेगा के तहत पूर्व में सृजित की गई मौजूदा परिसम्पित्तयों पर कार्य किया जाता है।
- 3. मनरेगा के तहत पूरे किए गए कार्य से या तो नई परिसम्पत्ति का सृजन होगा या फिर वह मौजूदा परिसम्पत्ति से जुड़ेगी। जब महात्मा गांधी नरेगा के तहत पहली बार कार्य पूरा किया जाता है, तब हमेशा एक नई परिसम्पत्ति का सृजन होगा, जिसे 'प्राथमिक कार्य' कहा जाएगा। मौजूदा परिसम्पत्ति के तहत किए गए किसी भी कार्य पर 'बाद के कार्यों' के रूप में विचार किया जाएगा। इस प्रकार यह याद रखा जाना चाहिए कि इस नाम पद्धिति के तहत प्रत्येक कार्य, जिसे पूरा किया गया है उससे नई परिसम्पत्ति का सृजन हो सकता है या नहीं भी हो सकता है।
- 4. इस परिसम्पित्त रिजस्टर का रख-रखाव ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाएगा। यह एक स्थायी रिजस्टर होगा और वर्ष-वार इसका रख-रखाव नहीं किया जाएगा। नया रिजस्टर तभी खोला जाएगा, जब मौजूदा रिजस्टर के सभी पेज भर दिए गए हों। सभी ऐसे रिजस्टरों को क्रम अन्सार संख्या दी जाएगी और इनका एक साथ रख-रखाव किया जाएगा।

#### विस्तृत प्रक्रिया

- 5. भाग क : परिसम्पत्ति का ब्यौरा
- 1. निर्धारक: रजिस्टर के क्रमानुसार परिसम्पत्ति की क्रमांक संख्या दर्ज करना, पृष्ठ संख्या और गांव का नाम दर्ज करना (यह राजस्व गांव हो सकते हैं या इन्हें हैमलेट के नाम पर आसानी से निर्धारित किया जा सकता है)। साथ ही पता भी दर्ज करना। जहां तक संभव हो पता पूरा होना चाहिए ताकि स्थान पर आसानी से पहुंचा जा सके।
- 2. पंक्ति 1 : परिसम्पत्ति आईडी इस परिसम्पत्ति आईडी को नरेगासॉफ्ट से लिया जाना चाहिए।
- 3. पंक्ति 2: परिसम्पत्ति का नाम परिसम्पत्ति का नाम देना (जो परिसम्पत्ति के निर्धारण के लिए प्राथमिक कार्य के नाम या यूनीक नाम के समान हो। प्राथमिक कार्य के

पूरा हो जाने पर ही परिसम्पत्ति के नाम का निर्धारण किए जाने की आवश्यकता है और बाद में उसी परिसम्पत्ति के कार्यों को भाग - 6 में दर्ज किया जाएगा)

- 4. पंक्ति 3 परिसम्पत्ति का वर्ग मनरेगा अधिनियम की अनुसूची-। के तहत कार्यों की नाम पद्धिति के अनुसार कार्यों के प्रकार दर्ज करना। यह कार्य श्रेणी के प्रकार के अनुसार ही होंगे। इन्हें नरेगा सॉफ्ट में दर्ज किया है। याद रखा जाए कि परिसम्पत्ति का वर्ग केवल और केवल एक ही बार प्राथमिक कार्यों के लिए दर्ज किए जाने की आवश्यकता है।
- **5. पंक्ति 4 : परिसम्पत्ति का विवरण -** परिसम्पत्ति जैसे आयामों, उद्देश्यों, परिणामों आदि का विवरण दर्ज करना।
- 6. पंक्ति 5 : प्राथमिक परिसम्पत्ति के समापन की तारीख एक अलग कॉलम में जैसा कि दर्शाया गया है समापन की तारीख और वर्ष दर्ज करना।
- 7. पंक्ति 6 : वैयक्तिक लाभार्थी वैयक्तिक कार्यों के मामले में ही जानकारी दी जानी चाहिए, वरना 'लागू नहीं (एन ए)' ऐसा लिखा जाना चाहिए। परिवार के मुखिया का नाम और परिवार के जॉब कार्ड की संख्या ऐसे मामलों में दर्ज की जाएगी।
- 8. पंक्ति 7 : तालमेल के तहत उपयोग की गई योजनाओं का नाम यदि केंद्रीय/राज्य योजनाएं, संबंधित विभागों एवं एजेंसियों, 14वें वित्त आयोग आदि के साथ तालमेल करके कार्य शुरू किए गए, तो योजनाओं के नाम दर्ज करना।
- 9. हस्ताक्षर: भाग क पर उस यूजर के द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए जो फार्म भर रहा है और जो नाम एवं प्रविष्टि की तारीख के साथ प्राधिकृत हो।

#### 6. भाग - ख : परिसम्पत्ति के कार्यों का ब्यौरा

- 1. परिसम्पित के सृजन (प्राथिमिक कार्य का समापन) के दौरान और उसी परिसम्पित पर किए गए बाद के कार्यों के समापन के बाद जानकारी भरे जाने की आवश्यकता है। जैसे ही कार्य पूरे होते हैं, परिसम्पित के तहत किए गए सभी कार्य दर्ज किए जाने की आवश्यकता है।
- पंक्ति 1 में प्राथमिक कार्य के ब्यौरे बाद की पंक्तियों में दर्ज किए जाएंगे, बाद कार्यों के ब्यौरे क्रमान्सार दर्ज किए जाएंगे।
- 2. **कॉलम 2 : कार्य की आईडी -** नरेगा सॉफ्ट से प्राथमिक कार्यों और बाद के कार्यों की वर्क आईडी लेकर यहां दर्ज की जाएगी।
- 3. **कॉलम 3**: कार्य के समापन की तारीख कार्य के समापन की तारीख (अर्थात वह तारीख जिसमें परियोजना के समापन की रिपोर्ट नरेगासॉफ्ट दर्ज की गई है।) यहां दर्ज की जाएगी।
- 4. **कॉलम 4 : कार्य का नाम -** कार्य की आईडी के साथ कार्य का नाम यहां दर्ज किया जाएगा।

- 5. **कॉलम 5**: कार्य पूरा हो जाने पर कार्य आईडी से सृजित श्रम दिवसों (अकुशल) की संख्या यहां दर्ज की जाएगी।
- 6. **कॉलम 6 : अकुशल श्रमिक -** अकुशल श्रमिक घटक (मजदूरी घटक) से कार्य पूरा करने के लिए किए गए कुल व्यय को यहां दर्ज किया जाएगा।
- 7. **कॉलम 7 : अर्ध/कुशल श्रमिक सहित सामग्री -** सामग्री घटक से कार्य प्रा करने के लिए किए गए कुल व्यय को यहां दर्ज किया जाएगा। सामग्री घटक में उपयोग की गई सामग्रियों की लागत सहित अर्धकुशल और कुशल श्रमिक के भुगतान के लिए किया गया व्यय शामिल है।
- 8. कॉलम 8: अन्य निधियां नरेगा और अन्य कार्यक्रम/एजेंसियों के बीच निधियों के तालमेल के तहत जहां कार्य निष्पादित किए गए हैं वहां यह कॉलम भरा जाएगा। इस कॉलम में कुल व्यय नरेगा की अपेक्षा योजनाओं से किए गए आवंटन से पूरा किया जाएगा।
- 9. कॉलम 9: नाम और हस्ताक्षर इस कॉलम में प्रविष्टि दर्ज करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और हस्ताक्षर दर्ज किए जाएंगे।

# रजिस्टर - 🗸

• शिकायत रजिस्टर

रजिस्टर – VI शिकायत रजिस्टर

भिकायत शिकायत किसके एक्सलेशन एक्सलेशन की गई की गई की गई विवरण शिकायत की संख्या का ब्योरा कार्रवाई कार्रवाई की तारीख की तारी की तारीख की तारी की तारीख की तारी की			
शिकायत किसके एक्सलेशन एक्सलेशन का खिलाफ की संख्या का ब्यौरा विवरण शिकायत 4 5 6 7	मंख्या		
शिकायत किसके एक्सलेशन एक्सलेशन का खिलाफ की संख्या का ब्यौरा विवरण शिकायत 4 5 6 7	पेज र		
शिकायत किसके का खिलाफ विवरण शिकायत 4 5			
शिकायत का विवरण 4			
शिकायत की तारीख का 3 4			
शिकायत की तारीख 3			
शिकायत श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री			
अ.सं.			

#### शिकायत रजिस्टर का प्रपत्र

पेज संख्या .....

क्र.सं.	शिकायत	शिकायत	शिकायत	किसके	एक्सलेशन	एक्सलेशन	की गई	की गई
	की श्रेणी	की तारीख	का	खिलाफ	की संख्या	का ब्यौरा	कार्रवाई	कार्रवाई
			विवरण	शिकायत				की
								तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- 1. यह रजिस्टर नरेगा सॉफ्ट में ऑनलाइन उपलब्ध है। <a href="http://nrega.nic.in/Netnrega/stHome.aspx">http://nrega.nic.in/Netnrega/stHome.aspx</a> लिंक से ग्राम पंचायत पृष्ठ पर पहुंचने के लिए राज्य > जिला > ब्लॉक > जीपी का नाम चुनना। इस पृष्ठ में लेवल रजिस्टर के तहत 'शिकायत रजिस्टर' के लिंक क्लिक करना ताकि इस रजिस्टर से संबंधित जानकारियां प्राप्त की जा सके।
- 2. इस रिपोर्ट में 9 कॉलम हैं। सभी 9 कॉलम पूर्व-मुद्रित हैं। रिपोर्ट (लैंड स्केप मोड में) प्रिंट की जानी चाहिए और वित्त वर्ष के लिए रख-रखाव किए जाने वाले रजिस्टरों पर पेस्ट की जाएगी।
- 3. रजिस्टर 6 भरने/रख-रखाव करने की प्रक्रिया के लिए पूर्व योजना
- 4. सही आकार के रजिस्टर को चुनना
  - 4.1 कृपया इस रिपोर्ट में प्रविष्टियों की संख्या की जांच करें।
- 4.2 रजिस्टर (योजनाबद्ध) के पेपर के आकार के अनुसार, यह जांच करें कि लैंड स्केप मोड में एक पृष्ठ पर कितनी प्रविष्टियां आ पाएंगी।
- 4.3 प्रति पृष्ठ के आधार पर प्रिंट किए जाने के लिए पृष्ठों की संख्या चुनने की स्विधा है।
- 4.4 शिकायतों की संख्या और प्रविष्ठियों के आधार पर प्रत्येक पृष्ठ प्रिंट किया जा सकता है। पृष्ठों की संख्या चुनिए और उसको 12 से गुणा कर दीजिए। क्योंकि यह रजिस्टर मासिक आधार पर अद्यतन किया जाएगा और तदनुसार पृष्ठों की संख्या चुनिए।
- 5. पेज संख्या देना : यह स्निश्चित करना कि सभी पृष्ठों को क्रमान्सार संख्या दी गई है।
- 6. रजिस्टर VI को भरने/रख-रखाव करने की प्रक्रिया
  - 6.1 कॉलम 1 से 9 तक पूर्व म्द्रित हैं।

- 6.2 यह रिपोर्ट एमआईएस से सीधे प्रिंट की जाएगी।
- 6.3 मासिक रूप से अद्यतन करने के लिए वार्षिक आधार पर इस रजिस्टर के रख-रखाव करने की सलाह दी गई है अर्थात प्रत्येक माह ली गई नई स्थिति से संबंधित प्रिंट और पहले के महीने की रिपोर्ट के बाद इसे इस रजिस्टर पर पेस्ट किया जाए।
- 6.4 एक बार प्रिंट किए जाने के बाद इस रिपोर्ट को वित्तीय वर्ष के लिए रजिस्टर VI पर क्रमानुसार पेस्ट किया जाएगा।
  - 6.5 कॉलम 1 क्रमांक संख्या है।
  - 6.6 कॉलम 2 में शिकायत श्रेणी है।
  - 6.7 कॉलम 3 में शिकायत की तारीख है।
  - 6.8 कॉलम 4 में शिकायत का विवरण है।
- 6.9 कॉलम 5 में उस व्यक्ति/एजेंसी से संबंधित जानकारी है, जिसके खिलाफ शिकायत की गई है।
  - 6.10 कॉलम 6 में एस्केलेशन की संख्या से संबंधित जानकारी है।
  - 6.11 कॉलम 7 में एस्केलेशन के ब्यौरे से संबंधित जानकारी है।
  - 6.12 कॉलम 8 में की गई कार्रवाई से संबंधित जानकारी है।
  - 6.13 कॉलम 9 में की गई कार्रवाई की तारीख से संबंधित जानकारी है।
- 6.14 यह ध्यान दिया जाए कि कॉलम 6,7,8 और 9 को खाली छोड़ा जाए। इनका मैन्यूअली अद्यतन किया जा सकता है और समान ब्यौरा एमआईएस में दर्ज किया जाना चाहिए ताकि अगली तिमाही में अद्यतन रिपोर्ट और प्रिंट के लिए उपलब्ध हो।
- 7. अगले महीने में एक नया प्रिंट लिया जाएगा और इसे पिछले महीने की रिपोर्ट के बाद पेस्ट कर दिया जाएगा और उसी तरह से रजिस्टर का रख-रखाव किया जाएगा। इस प्रकार वित्तीय वर्ष के अंत तक पिछले महीने की रिपोर्ट में उस वित्तीय वर्ष के लिए उस ग्राम पंचायत की शिकायतों की स्थिति के बारे में नवीन जानकारी प्राप्त होगी।

### रजिस्टर - VII • सामग्री रजिस्टर

रजिस्टर – VII सामाग्री रजिस्टर

ii L	तकनीकी सहायक द्वारा हस्ताक्षर	14.					
पेज संख्या	अंतशेष स्टॉक	13.					
₽ P	अथशे ष स्टॉक	12.					
	स्टॉक रस्टिर में प्रबिष्ट (पृष्ठ सं.)	11.					
	कुल कीमत (रु.	10.					
, ,	सामग्री की मात्रा यूनेट में	9.					
	सामग्री का	8.					
	वेंडर का नाम और TIN सामग्री	7.					
	<u>बि</u> तारी ख	9.					
	बाउच २/ बिल सं.	5.					
	कार्य समापन की अनुमानित तारीख	4.					
	कार्य शुरू करने की तारीख	3.					
	कार्य का नाम (का र्य का कोड)	2.					
	यः अ	1.					

#### सामाग्री रजिस्टर का प्रपत्र

पेज संख्या .....

												1011	
+	कार्य का नाम(का	कार्य शुरू करने की	कार्य समापन की अनमानित	वाउच र/ बिल	बिल की तारी	वेंडर का नाम और TIN	सामग्री	सामग्री की मात्रा	कुल कीमत '-	स्टॉक रस्टिर में प्रविष्टि	<u>अ</u> थशे	مرامت:	तकनीकी सहायक
क्र.	ये का	का	अनुमानित	।बल	तारा	सामग्री	का	यूनिट	(रु.	(ਸੌਫ਼ੁ	ष	अतशेष	द्वारा
सं.	कोड)	तारीख	तारीख	सं.	ख	वार	ब्यौरा	में	में)	सं.)	स्टॉक	स्टॉक	हस्ताक्षर
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.

- 1. यह रजिस्टर नरेगा सॉफ्ट में ऑनलाइन उपलब्ध है।
- 2. <a href="http://nrega.nic.in/Netnrega/stHome.aspx">http://nrega.nic.in/Netnrega/stHome.aspx</a> लिंक से ग्राम पंचायत पृष्ठ पर पहुंचने के लिए राज्य > जिला > ब्लॉक > जीपी का नाम चुनना। इस पृष्ठ में लेवल रजिस्टर के तहत 'सामग्री रजिस्टर' के लिए लिंक पर इस रजिस्टर से संबंधित जानकारियां दर्शाने के लिए क्लिक किया जाएगा।
- 3. इस रिपोर्ट में 14 कॉलम हैं। और 1 से 10 कॉलम पूर्व-म्द्रित हैं।
- 4. कॉलम 11 से 14 तक खाली हैं (मैन्य्अली भरे जाएं)।
- 5. रिपोर्ट (लैंड स्केप मोड में) प्रिंट की जानी चाहिए और वित्तीय वर्ष के लिए रख-रखाव किए जाने वाले रजिस्टरों पर पेस्ट की जाएगी।
- 6. रजिस्टर VII भरने/रख-रखाव करने की प्रक्रिया के लिए पूर्व योजना
- 7. सही आकार के रजिस्टर को चूनना
  - 7.1 कृपया इस रिपोर्ट में प्रविष्टियों की संख्या की जांच करें।
- 7.2 रजिस्टर (योजनाबद्ध) के पेपर के आकार के अनुसार, यह जांच करें कि लैंड स्केप मोड में एक पृष्ठ पर कितनी प्रविष्टियां आ पाएंगी। प्रति पृष्ठ के आधार पर प्रिंट किए जाने के लिए पृष्ठों की संख्या चुनने की स्विधा है।
- 7.3 कार्यों की संख्या और प्रविष्ठियों के आधार पर प्रत्येक पृष्ठ प्रिंट किया जा सकता है। और उसको 12 से गुणा कर दीजिए। क्योंकि यह रजिस्टर मासिक आधार पर अद्यतन किया जाएगा और तदनुसार पृष्ठों की संख्या चुनिए।
- 8. पेज संख्या देना : यह सुनिश्चित करना कि सभी पृष्ठों को क्रमानुसार संख्या दी गई है।
  - 8.1 रजिस्टर VII को भरने/रख-रखाव करने की प्रक्रिया

- 8.2 कॉलम 1 से 10 तक पूर्व मुद्रित हैं और कॉलम 11 से 14 तक खाली हैं
- 8.3 यह रिपोर्ट एमआईएस से सीधे प्रिंट की जाएगी।
- 8.4 वार्षिक आधार पर इस रजिस्टर के रख-रखाव करने की सलाह दी गई है
- 8.5 एक बार प्रिंट किए जाने के बाद इस रिपोर्ट को तिमाही के लिए रजिस्टर VII पर क्रमानुसार पेस्ट किया जाएगा।
  - 8.6 कॉलम 1 क्रमांक संख्या है।
  - 8.7 कॉलम 2 में कार्य के नाम (कार्य कोड) से संबंधित जानकारी है।
  - 8.8 कॉलम 3 में कार्य श्रू करने की तारीख से संबंधित जानकारी है।
  - 8.9 कॉलम 4 में समापन की अनुमानित तारीख से संबंधित जानकारी है।
- 8.10 कॉलम 5 में उस व्यक्ति/एजेंसी से संबंधित जानकारी है, जिसके खिलाफ शिकायत की गई है।
  - 8.11 कॉलम 6 में बिल की तारीख से संबंधित जानकारी है।
- 8.12 कॉलम 7 में वेंडर का नाम और टीआईएन संख्या से संबंधित जानकारी है (सामग्री-वार)। दिए गए कार्य के लिए सामग्री-वार सार उपलब्ध है, इसके बाद, बाद के कॉलमों में सामग्री-वार जानकारी है।
- 8.13 कॉलम 8 में बिल/वाउचर संख्या में सामग्री का नाम है और पिछले कॉलमों में वेंडर का नाम है।
- 8.14 कॉलम 9 में कॉलम 8 में बताई गई सामग्री में से खरीदी गई सामग्री की मात्रा से संबंधित जानकारी है।
- 8.15 कॉलम 10 में दिए गए बिल संख्या/वाउचर संख्या में बताई गई उक्त सामग्री के लिए वेंडर को किए गए कुल भुगतान से संबंधित जानकारी है।
- 8.16 कॉलम 11 खाली है और इसे मैन्यूअली भरा जाएगा। ग्राम पंचायत राज्य की जीएफआर द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में स्टॉक रजिस्टर का रख-रखाव कर रही है या अन्य निदेश दिए जाएंगे और वह पृष्ठ संख्या जिस पर उक्त सामग्री की खरीददारी से संबंधित प्रविष्टि की गई है, उसे यहां दर्ज किया जाएगा।
- 8.17 कॉलम 12 और 13 भी खाली है और इसे मैन्यूअली भरा जाएगा। उन्होंने ऊपर यह उल्लेख किया है कि इन प्रविष्टियों के लिए स्टॉक रिजस्टर निर्दिष्ट किया जाएगा। कॉलम 12 में स्टॉक रिजस्टर के अथशेष (अर्थात उपरोक्त खरीददारी की आपूर्ति से पहले उस सामग्री का स्टॉक बैलेंस) पर ध्यान दिया जाएगा और यहां दर्ज किया जाएगा। कॉलम 13 में अंतशेष (अर्थात उपरोक्त खरीददारी की आपूर्ति से पहले उस सामग्री का स्टॉक बैलेंस) पर ध्यान दिया जाएगा।
- 8.18 कॉलम 14 खाली है और इसे मैन्यूअली भरा जाएगा। इस कॉलम में टीए मैन्यूअली दर्ज किए गए ब्यौरों का सत्यापन करने के बाद अपने हस्ताक्षर करेगा।

9. अगले महीने में एक नया प्रिंट लिया जाएगा और इसे पिछले महीने की रिपोर्ट के बाद पेस्ट कर दिया जाएगा और उसी तरह से रजिस्टर का रख-रखाव किया जाएगा। इस प्रकार वित्तीय वर्ष के अंत तक पिछले महीने की रिपोर्ट में उस वित्तीय वर्ष के लिए उस ग्राम पंचायत की शिकायतों की स्थिति के बारे में नवीन जानकारी प्राप्त होगी।